

सं. 402/92/2006-एमसी (2010 का 30)

भारत सरकार/वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

\*\*\*

नई दिल्ली 11 जून 2010

### प्रेस विज्ञप्ति

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 के खंड (10) के उप-खंड (iii) के तहत छूट के हकदार उपदान की अधिकतम राशि के रूप में दस लाख रुपये की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है।

यह अधिसूचना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 24 मई 2010 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या सेवानिवृत्ति से पहले अक्षम हो जाते हैं, या समाप्त हो जाते हैं, या जिनकी सेवाएँ समाप्त हो जाती हैं।

[अधिसूचना संख्या 43/2010; एफ.सं. 200/33/2009-  
आईटीए.आई]

XXX